

ट्रेन से कटकर मां ने बेटी संग दी जान

परिवारिक कलह के चलते उठाया खौफनाक कदम

डॉ.इन्हियाज अहमद

मानीकलां, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिले के साथाराजांथा थाना क्षेत्र के लापीरी गांव निवासी 28 वर्षीय प्रेमशीला बिन्दने में मगलवार को पूर्वाहन अपनी तीन वर्षीय बेटी के आगे कूद कर जान दे दी। जौनपुर शाहजां रेल प्रवांड कर मानीकलां हाल्ट स्टेशन के पास खाड़ी की मौत की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप घट गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना का कारण परिवारिक कलह बताया जा रहा है। खेतासराय थाना क्षेत्र के मानीकलां निवासी रामधारी गिर्द की बेटी प्रेमशीला 28 वर्ष की शादी समाप्तकाज थाना क्षेत्र के लापीरी गांव निवासी सचिन बिन्दन के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों का जीवन बड़े हसी खुशी में चल रहा था। प्रेमशीला की तीन वर्षीय एक पुनरी भी थी। सचिन प्रदेश में रह कर गोनी-रोटी कमाता था। एक सप्ताह पूर्व वह गांव आया था। पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी में बेटी रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। घर के लोगों ने दोनों को समझा कर बात खलू कर दिया था। मंगलवार की सुबह प्रेमशीला अपनी तीन वर्षीय बेटी रेजना कुमारी को लेकर मानीकलां भायके जाने की बात कर रख दी। निवासी ने बदल लिया कि बाद भी वह अपनी बेटी को दोनों हाथों से कस कर पकड़ दी। पुलिस का कहना है कि अगर आत्महत्या के उद्देश्य से रेलवे लाइन पर कूदती तो शरीर के कड़ी टुकड़े हो सकते थे। फिलाल घटना पर पड़े रहस्यों का पर्दा अब तो पुलिसिया जांच के बाद ही खुलासा होगा।



ओयो होटल पर मजिस्ट्रेट ने मारा छापा, चार युवक और चार युवती पकड़ाए

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मुंगराबादाशहपुर क्षेत्र के सुनारांग रोड पर खिल एक होटल पर नायब तहसीलदार ने छापा मारकर होटल में मौजूद चार लड़कों को लड़कियों को हिरासत में ले लिया है।



पुलिस ने होटल सचालक को भी गिरफतार कर लिया है दोपहर दो बजे नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ अचानक छापेमारी कर दी। छापेमारी की सूचना पर होटल में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर में ही थानाध्यक्ष बिनोद कुमार मिश्र भी पुलिस बल के साथ होटल में पहुंच गए। कर्किरा करने वाले दो लड़के और एक युवक को लेकर बाहर निकाला गया। उन्होंने दो लड़कों को लेकर बाहर निकाला गया। उन्होंने दो युवती को लेकर बाहर निकाला गया। उन्होंने दो युवती को लेकर बाहर निकाला गया।

पर एक युवक और युवती छिपे थे। पुलिस के जाने के बाद बह दुपड़ा और अचं कपड़ों के सहारे होटल के पिछले हिस्से से निकले उत्तरकर फरार हो गये। इस बाबत नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव के बायां की तरफ चारों लड़कों को लेकर बाहर निकाला गया। उन्होंने दो युवती को लेकर बाहर निकाला गया। उन्होंने दो युवती को लेकर बाहर निकाला गया।

पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। छापेमारी की सूचना पर होटल में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर में ही थानाध्यक्ष बिनोद कुमार मिश्र भी पुलिस बल के साथ होटल में पहुंच गए। कर्किरा करने वाले दो लड़कों को लेकर बाहर निकाला गया। उन्होंने दो युवती को लेकर बाहर निकाला गया। उन्होंने दो युवती को लेकर बाहर निकाला गया।

यात्रा में शामिल विद्यार्थियों के अनुभवों का होगा संकलन: कुलपति

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर

की भाँति अपने कक्ष की सफाई करें। कहा कि गोल लिए गए गांव में भाषण प्रातिवानितों में भाग लिए

विद्यार्थियों से भाषण कराया जाएगा अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की प्राप्ति एवं

समीक्षा बैठक हुई। बैठक में

कुलपति प्रोफेसर वर्मा सिंह ने पढ़े

जौनपुर, बढ़े जौनपुर एवं प्रतिज्ञा

कार्यक्रम के सफलता पर समिति के

सदस्यों एवं पर्वतीकर्ताओं को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के

सभी विद्यार्थियों को एवं

विद्यार्थियों ने इन कार्यक्रमों को एवं

विद्यार्थियों को एवं

विद्यार्थ

38 दिन के बच्चे के अपहरण को वनराई पुलिस ने 6 दिनों के अथक प्रयत्न से किया साल्व



इस अपहरण में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया

मुंबई (उत्तरशक्ति) : मुंबई के गोरेगांव पूर्व वनराई पुलिस स्टेशन की हड्डी में हाईबे पर सब डिपो के पास 2 मार्च के रात को एक 38 दिन के बच्चे का अपहरण हो गया था। जिसकी जानकारी मिलने के बाद वनराई पुलिस ने मामले करने का जांच शुरू की। मामले की जांच में पता चला कि 38 दिन के बच्चे को बेचे के इरादे से अपहरण किया गया है। वनराई पुलिस ने कई टीम बनाकर अलग-अलग तरीकों से जांच शुरू की। पुलिस ने तांत्रिक विशेषण, सीसीटीवी और सुनों की मदद से करीब 11000 रिक्शों की जांच में एक आरोपी पिले रंग का जैकेट पहने रिक्शा से जाता दिखाई दिया। 1 लाख योगाइल नंबरों की जांच में आरोपी के मालवणी में होने की जानकारी मिली। वनराई पुलिस ने मालवणी में जाल बिछाकर पिले रंग के जैकेट वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। अधिक जांच में 3 और आरोपियों को बात लिया गया। आरोपी को पास से 38 दिन के बच्चे को बेचे को लाही सलामत बरामद कर लिया गया। इन आरोपियों का मुख्य उद्देश्य 38 दिन के बच्चे को बेचने का था।

गिरफ्तार आरोपियों का नाम मोहम्मद आसिक मोहम्मद उमर खान (42), फातिमा जिलानी शेख (33), राजू भानुदास मोरे (47) और मंगल राजू मोरे (35) है। यह सभी मालवणी के रहने वाले हैं। आरोपी मोहम्मद असिक मोहम्मद उमर खान (42) ने 5 लाख में बच्चा खरीदने की बात कर लिया गया। आरोपी को पास से 38 दिन के बच्चे को बेचने का था। इन आरोपियों का गिरफ्तार कर लिया गया।

राजेश सिंह भाजपा में शामिल



मिरा भाईदर। महाराष्ट्र प्रदेश संघटक व मिरा भाईदर जिला सचिव (शिवसेना उद्घव बालासाहेब ठाकरे गढ़) राजेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में वेश किया। यह प्रवेश भाजपा जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व उपमहापौर हसमुख गहलोत, मंडल अध्यक्ष संजय वरा और लक्षण जाम भी विशेष रूप से उपस्थिति रखे। राजेश सिंह के भाजपा में शामिल होने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और स्थानीय रस्त पर पार्टी की ताकत और अधिक सशक्त होगी। पार्टी के बैरिंग नेताओं ने विश्वास जाता था कि यह कदम भाजपा के विस्तार और मजबूती में सहायक होगा।

श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन विकास मंडल की 60 वर्ष पूर्ण पर समारोह का आयोजन



बोरीवली। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन विकास मंडल के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलब्ध्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने मुख्य अधिकारी के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई और समाज के नागरिकों को संबोधित किया। पैराडाइज हॉल, दौलत नगर बोरीवली (पूर्व) में हुए इस समारोह में जनसेवक गोपाल शेट्टी के साथ मयूर ओवरसियर, राजेश भट्ट, अशोक शाह तथा अमर शाह सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थिति रहे।

जय श्री कृष्ण सेवा संघ द्वारा भांडुप में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन



मुंबई। जय श्री कृष्ण सेवा संघ द्वारा भांडुप में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन 16 मार्च से 24 मार्च 2025 तक बैगनपाडा (अयोध्या पुरी) वी. पी. ई. एस. हाईस्कूल, प्राप्ति नगर रोड, भांडुप पर किया गया है। आयोजक धर्मदेव यादव (अध्यक्ष) एवं एक.प्रो.वैद्य (कोषाध्यक्ष) ने बतलाया है कि इस सप्ताह में आचार्य पं.शरणागत महाराजा चित्रकूट धाम (जगत गुरु श्री रामधाराचार्य जी के कृपापात्र) प्रवक्तन करेंगे। इस सप्ताह के दौरान कलशाचारा, हवन, यज्ञ, माताजी की दिव्य चौपी, महाप्रसाद, भंडारा का आयोजन किया जायेगा। आयोजकोंने सभी श्रद्धालुओं से इस ज्ञान सप्ताह में उपस्थिति होकर ज्ञान एवं प्रसाद पाने का अनुरोध किया है।

खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के ४४ आतंकियों को उम्रकैद

पाकिस्तान से झोन के जरिए मंगवाते थे हथियार और नशा

मोहाली। पाकिस्तान से झोन के माध्यम से पंजाब में हथियार व नशा मंगवाने के मामले में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के छात्र आतंकियों को उम्रकैद व तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

मोहाली की एक विशेष एनआईए अदालत में अधिकारियों ने मंगलवार को वह जानकारी दी कि इन दोषियों के संबंध जर्मनी स्थित यूरोपीय संघरस्त्री के रूप में उम्रकैद के संपर्क में है। सभी दोषी की धारा 120बी, 121, 121ए, 122, 489बी, 489सी, 379, शस्त्र अधिनियम की धारा 13, 16, 17, 18, 18ए, 23, 38, 25(1), 25(3), 25(4), 27(2) व विस्फोटक व पदार्थ अधिनियम की धारा चार व पांच में मामला दर्ज किया था।

22 सितंबर 2019 को काउंटर इंटर्निंग अमृतसर के इंस्पेक्टर अवकूप 2019 में अमृतसर पुलिस से इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने



सिंह उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

एनआईए ने मामले में गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम की धारा 120बी, 121, 121ए, 122, 489बी, 489सी, 379, शस्त्र अधिनियम की धारा 13, 16, 17, 18, 18ए, 23, 38, 25(1), 25(3), 25(4), 27(2) व विस्फोटक व पदार्थ अधिनियम की धारा चार व पांच में मामला दर्ज किया था।

पंजाब व भारत में आतंकवादी गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने की जो योजना बना रहा था। एनआईए ने अवकूप 2019 में अमृतसर पुलिस से इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जानकारी बांटा रहा था। एनआईए ने

इन दोषियों को जांचने के लिए एनआईए अवकूप का द्वारा उम्रकैद की 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

आतंकी गतिविध